न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 14/2022

ओमप्रकाश सिंह पुत्र भूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बेरी, तहसील सुरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय प्रथम अदालत तहसीलदार सूरजगढ मुकदमा उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश सिंह, अ0धा0 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, मु0नं0 04/2022 निर्णय दिनाक 18.02.2022

——

उपस्थितः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 12.01.2022 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को आराजी हाल खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 10.87 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड सरहद मौजा बेरी में से 0.55 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली करने व 165/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने एवं बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं निलामी करने का आदेश पारित किया इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य के बिना डिमार्केशन किये निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के केसेज क्रमशः अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार एवं जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू नहीं होते। अपीलान्ट को अदालत मातहत ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुन्झुनूं

एक नोटिस क्रमांक एस.पी. 01 दिनांक 27.01.2022 को जारी किया जिसमें अपीलान्ट का 15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना बताया। इसके बाद उपरोक्त प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को 0.55 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी बताया गया। अपीलान्ट ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि उसने कोई अतिक्रमण नही किया है। आराजी मुतनाजा खसरा नं0 373 गै0मु0 जोहड के सटकर आराजी खसरा नं0 385 रकबा 4.74 हैक्टर सरहद मौजा बेरी स्थित है। खसरा नं0 385 अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि है। तथाकथित कब्जा पूर्वजो के समय से है। अपीलान्ट की मौजूदगी में आराजीयात का नाप नही किया गया। फर्द नपती रिपोर्ट तैयार नही हुई तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण को साबित करने के लिए पटवारी हल्का अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। कानून से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण के बिन्दु को अस्वीकार करने की सूरत में अपीलान्ट की मौजूदगी मे विवादित आराजी का नाप कर गै0मु0 जोहड व अपीलान्ट की सहखातेदारी की जमीन खसरा नं0 385 के मध्य की सीमा कायम करनी चाहिए थी और उसके बाद यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो तथाकथित अतिक्रमण हटाने व युक्तियुक्त समय दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दू सद्भाविक रूप से उठाया था कि अपीलान्ट का अतिक्रमण नही है ऐसी सूरत में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर बेदखली का निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने धारा 91(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो की पालना नही की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन किया है कि अपीलान्ट ने गेहूं, सरसों, चना, मैथी की फसल, काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त तथ्य को सही माने जाने की सूरत में भी अदालत मातहत को खडी फसल को हटाने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। अपीलान्ट की प्रकरण में तामील दिनांक 15.02.2022 को सांय 3.30 बजे हुई और मात्र 3 दिन बाद निर्णय कर दिया गया। इससे भी स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने दफा 91(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो की पालना नही की है। खडी फसल को हटाने के लिए युक्तियुक्त समय देने का प्रावधान है। जिससे अदालत मातहत ने जानबूझकर नजरअंदाज किया है। जिस गति से अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है उससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही हुई है। दिनांक 28.01.2022 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार [illegible]2 को अदालत मातहत में प्रकरण दर्ज कर लिया और उसी दिन नोटिस जारी कर [illegible]। उक्त तमाम तथ्यों से साबित है कि निर्णय जैर बहस किसी दुराशय [illegible] किया गया। अ[illegible]पील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रति प्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत अपीलान्ट की उपस्थिति में आराजी हाल खसरा नं0 373 रकबा 10.27

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हैक्टर गै0मु0जोहड सरहद मौजा बेरी का नाप करवाकर उक्त भूमि व अपीलान्ट के सहखातेदारी की भूमि खसरा नं0 385 के मध्य सीमा कायम कर पुनः गुणागुण पर निर्णय पारित करे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अपीलान्ट को अपील में चाहा गया अनुतोष नही दिया जाता है तो उस सूरत में जमीन खसरा नं0 373 सरहद मौजा बेरी पर अपीलान्ट द्वारा बोई गई फसल को हटाने हेतु नियमानुसार युक्तियुक्त समय दिये जाने का आदेश दिया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। आराजी मुतनाजा खसरा नं0 373 गै0मु0 जोहड के सटकर आराजी खसरा नं0 385 रकबा 4.74 हैक्टर सरहद मौजा बेरी स्थित है। खसरा नं0 385 अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि है। तथाकथित कब्जा पूर्वजो के समय से है। अपीलान्ट की मौजूदगी में आराजीयात का नाप नही किया गया। फर्द नपती रिपोर्ट तैयार नही हुई तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण को साबित करने के लिए पटवारी हल्का अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। कानून पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन किया है कि अपीलान्ट ने गेहूं, सरसों, चना, मैथी की फसल, काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त तथ्य को सही माने जाने की सूरत में भी अदालत मातहत को खडी फसल को हटाने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। खडी फसल को हटाने के लिए युक्तियुक्त समय देने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रति प्रेषित किया जावे कि अदालत मातहत अपीलान्ट की उपस्थिति में आराजी हाल खसरा नं0 373 रकबा 10.27 हैक्टर गै0मु0जोहड सरहद मौजा बेरी का नाप करवाकर उक्त भूमि व अपीलान्ट के सहखातेदारी की भूमि खसरा नं0 385 के मध्य सीमा कायम कर पुनः गुणागुण पर निर्णय पारित करे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अपीलान्ट को अपील में चाहा गया अनुतोष नही दिया जाता है तो उस सूरत में जमीन खसरा नं0 373 सरहद मौजा बेरी पर अपीलान्ट द्वारा बोई गई फसल को हटाने हेतु नियमानुसार युक्तियुक्त समय दिये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बेरी स्थित विवादित भूमि [illegible] नं0 373 रकबा 10.87 है0 किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.55 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि [illegible] अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अदालत मातहत [illegible] निर्णय विधिसम्मत है। अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर अदालत मातहत द्वारा [illegible] गया है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A44

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। राजकीय अभिभाषक का कथन कि ग्राम बेरी स्थित विवादित भूमि ख0न0 373 रकबा 10.87 है0 किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.55 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर अदालत मातहत द्वारा दिया गया है। हम अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत मानते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है एवं अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2022 यथावत रखा जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested